वीर सिंह महतो ....आवेदक/विक्रेता

बनाम

रबी महतो..................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
.6.2020		

विक्रेता :– वीर सिंह महतो पिता स्व0 निरंजन महतो, ग्राम–बड़ाकुनाबेड़ा, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड), जाति–कुर्मी।

क्रेता :– रबी महतो पिता भोका महतो, ग्राम–बड़ाकुनाबेड़ा, थाना–राजनगर जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड), जाति–कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 25.02.2020 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता रबी महतो पिता भोका महतो, ग्राम–बड़ाकुनाबेड़ा, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्न लिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
बड़ाकुनाबेड़ा	राजनगर/38	150	88	12डि0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजनगर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, राजनगर का पत्रांक 410 दिनांक 15.06.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के दादाजी के नाम से खयितान में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने पितामह एवं पिता के मृत्यु पश्चात हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा–3.71½ एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला एवं जाति–'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते है।

लगातार....................2

उपरोक्त प्रतिवेदन में ... भूमि काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किंसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राजनगर के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता वीर सिंह महतो पिता स्व0 निरंजन महतो, ग्राम–बड़ाकुनाबेड़ा, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता रबी महतो पिता भोका महतो, ग्राम–बड़ाकुनाबेड़ा, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–12डि0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

26/06/2020

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।